



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

निविदा सूचना संख्या:- 27/2020-21

दिनांक - 24/12/2020

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यो हेतु ई-निविदा के माध्यम से निविदाये आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि (रु० में)	निविदा मूल्य (रु० में) समस्त करों सहित	कार्य अवधि	पत्र श्रेणी	अनुभाग
1	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आगरा विकास प्राधिकरण के विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए विभिन्न एजेन्सीयों से ऑफर मांगे जाने हेतु।	5,00,000/-	5900/-	12 माह	विशिष्ट श्रेणी	जन संपर्क अनुभाग

- उक्त कार्यो की निविदाये दिनांक 16.01.2021 को आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 28.12.2020 के अपरान्ह 12:30 बजे से 15.01.2021 के अपरान्ह 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- निविदा सम्बन्धी विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.in पर देखी जा सकती है।

नियम व शर्तें:-

- उक्त कार्यो की निविदाये दिनांक 16.01.2021 को आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिन 12:30 अपरान्ह खोली जायेगी।
- निविदा प्रपत्र दिनांक 28.12.2020 के अपरान्ह 12:30 बजे से दिनांक 15.01.2021 के अपरान्ह 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- (क)- वांछित धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राधिकरण खाता संख्या 540002010106535 (बैंक का नाम/पता -यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया ए.डी.ए ब्रांच जयपुर हाउस, आगरा) IFSC CODE UBIN0554006 में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साक्ष्य के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी धरोहर धनराशि के यू.टी.आर नंबर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (ख)- धरोहर धनराशि एफ.डी.आर./एन.एस.सी. के माध्यम से भी जमा की जा सकती है। राष्ट्रीकृत बैंक की एफ.डी.आर अथवा एन.एस.सी के माध्यम से जो कि सचिव के पक्ष में बंधक की गयी हो, निविदा से एक दिन पूर्व जन संपर्क अनुभाग कार्यालय में 3:30 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा तथा धरोहर धनराशि की छायाप्रति/स्कैन प्रति निविदा के साथ अपलोड करना होगा। अन्यथा की दशा में निविदा मान्य न होगी।
- विज्ञापन एजेन्सी को इन्डियन न्यूज पेपर सोसाइटी (INS) की मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।
- विशिष्ट श्रेणी के कार्यो के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यो हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदा दाता को पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण करानी होगी।
- निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
- सभी निविदादाताओं को श्रम विभाग, जी.एस.टी एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्वाह रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या का उल्लेख कर दें ताकि असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि उनके बैंक एकाउन्ट में RTGS/NEFT के माध्यम हस्तान्तरित की जा सके।
- जिन ठेकेदारों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु नवीनीकरण/पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया है, वह निविदाओं में भाग लेने हेतु अनुमन्य न होंगे व उनकी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता

दिनांक :- 24/12/2020

पत्रांक : 26/डी/सी.ई/2020-21,

प्रतिलिपि :-

- उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
- सचिव/वित्त नियन्त्रक महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- अधिशासी अभियन्ता ई-टेन्डरिंग/कम्पनी के प्रतिनिधि को इस आशय से प्रेषित कि वह वेबसाइट पर प्रकाशित करायें।
- जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे वेब साइट एवं दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायें।
- समस्त अधि०अभि० अपने से सम्बन्धित कार्य की वी.ओ.क्यू. समयान्तर्गत अधि० अभि० ई-टेन्डरिंग को भिजवायें।
- नोटिस बोर्ड पर चरया करने हेतु।

मुख्य अभियंता